

संचालनालय मत्स्योद्योग
भदमदा मत्स्य प्रक्षेत्र, भोपाल, मध्यप्रदेश

ई-मेल— dirfish@mp.nic.in /फैक्स— 0755-2771991 /दूरभाष—0755-2771975

क्रमांक / 1145 / म0 / स्था-अराज / 2019

भोपाल, दिनांक 5-7-2019

::संशोधित आदेश::

संचालनालय मत्स्योद्योग आदेश क्र. 1099 दिनांक 05.07.2019 से सहायक मत्स्य अधिकारी का प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश के सरल क्र. 16 पर श्रीमति बीनू गुप्ता का सहायक संचालक मत्स्योद्योग मुरैना से सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्योपुर स्थानान्तर किया गया था। सरल क्र. 16 श्रीमति बीनू गुप्ता सहायक मत्स्य अधिकारी की पदस्थापना संशोधित कर कार्यालय उप संचालक मत्स्योद्योग भोपाल की जाती है।

1. यदि किसी महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जायेगा।
2. दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानान्तरित अधिकारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित अधिकारियों का वेतन नवीन पदस्थापना जिले से ही आहरित किया जायेगा।
4. कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ओ.पी.सक्सेना)

संचालक मत्स्योद्योग

मध्य प्रदेश